संख्या- 102/2018/1373/71-1-2018-जी-94/2018

प्रेषक,

जयन्त नार्लिकर,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 06 अप्रैल, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों/सम्बद्ध चिकित्सालयों/ चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2018-19/01, दिनॉक 05-04-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व मद में राजकीय मेडिकल कालेजों/सम्बद्ध चिकित्सालयों/चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय के वेतनादि एवं आवश्यक व्ययों को वहन किए जाने हेतु विभिन्न मानक मदों में संलग्न विवरणानुसार लेखाशीर्षक-2210-राजस्व लेखा में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 9,46,14,49,000/- (रू0 नौ अरब छियालीस करोड़ चौदह लाख उनचास हजार मात्र) एवं 4210-पूंजी लेखा में रू0 1,24,00,000/- (रू0 एक करोड़ चौबीस लाख मात्र) कुल रू0 9,47,38,49,000/- (रू0 नौ अरब सैतालीस करोड़ अड़तीस लाख उनचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30-03-2018 के प्रस्तर-2 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30-03-2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(जयन्त नार्लिकर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 102/2018/1373(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, झाँसी, बाँदा, बदायूँ तथा आजमगढ़।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, झाँसी, बाँदा, बदायूँ तथा आजमगढ़।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, झाँसी, बाँदा, बदायूँ तथा आजमगढ़।
7- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।